NJESR/July2025/Volume-7/Issue-7 E-ISSN-2582-5836

DOI-10.53571/NJESR.2025.7.7.70-84

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से ग्रामीण सड़कों से जोड़ी गई बसावटों का राज्यवार विश्लेषण

डॉ. लक्ष्मण परवाल,प्राध्यापक वाणिज्य संकाय,

स्वामी विवेकानंद शासकीय वाणिज्य महाविद्यालय रतलाम (म.प्र.)

(Received-15-June-2025/Revised-30-June-2025/Accepted-10-July-2025/Published-30-July-2025)

प्रस्तावना :

सड़कों को देश की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति का द्योतक माना जाता है । देश का आर्थिक विकास ग्रामीण सड़कों पर ही निर्भर है, क्योंकि ग्रामीण सड़कों के माध्यम से जहां एक ओर सम्पर्क सुत्रता में बढ़ोतरी होती है, वही दूसरी और आवागमन बढ़ने से अर्थव्यवस्था में नवीन उद्योगों, व्यापार, व्यवसाय का विकास होता है, रोजगार में वृद्धि होती है, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव गरीबी उन्मूलन पर पड़ता है।

ग्रामीण सड़कों के विकास में केन्द्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अच्छी बारहमासी सड़कों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क सम्पर्कता प्रदान करना है। सड़कों के निर्माण द्वारा सम्पूर्ण भारत के गांवों को जाड़ने हेतु भारत सरकार ने दिसम्बर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत सड़क निर्माण गांव-गांव तक हो जाने से आधारभूत सुविधाएं एवं विभिन्न योजनाएं गांवों तक पहुंचाना सरल हो गया है।

भारत सरकार के एक अनुमान के अनुसार देश में दिसम्बर 2005 में कुल 8,48,894 ग्रामीण बसावटों में से लगभग 3,29,898 ग्रामीण बसावटें सम्पर्क रहित थी। इन सम्पर्क रहित बसावटों में से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कवर की जाने वाली कुल बसावटें 1,72,787 थी। इनमें भी 1000+ जनसंख्या वाली पात्र सम्पर्क रहित बसावटें 59,678 थी। 500 से 999 तक जनसंख्या वाली पात्र सम्पर्क रहित बसावटें 81,851 थी तथा 250 से 499 तक जनसंख्या वाली पात्र सम्पर्क रहित बसावटें 31,258 थी। इन सभी बसावटों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में बारहमासी सड़कों से जोड़े जाने की योजना बनाई गई ।

अध्ययन का क्षेत्र व अवधि :

प्रस्तुत शोध कार्य भारत के सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों से जोड़ी गई बसावटों से संबंधित है।

Created by Universal Document Converter

प्रस्तुत शोध कार्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीनों चरणों का अध्ययन किया गया है। इन तीनों चरणों की अवधि इस प्रकार है:-

प्रथम चरण	:	दिसम्बर 2000 से अप्रैल 2013 तक
द्वितीय चरण	:	मई 2013 से अक्टूबर 2019 तक
तृतीय चरण	:	नवम्बर 2019 से दिसम्बर 2024 तक

अध्ययन प्रणाली :

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत योजना के प्रारंभिक वर्षों में बारहमासी सड़कों से सम्पर्क रहित ग्रामीण बसावटों की गणना निम्न मापदण्डों के अनुसार गई है:-

- ❖ जनगणना 2001 को आधार मानकर बसावटों की गणना की गई है।
- ❖ योजनान्तर्गत 250+, 500+ एवं 1000+ जनसंख्या वाली पात्र संपर्क रहित बसावटों की गणना की गई है।
- ❖ सम्पर्क रहित बसावटों की संख्या का आंकलन करते समय देश के सभी राज्यों को शामिल किया गया है, लेकिन केन्द्र शासित संघों को शामिल नहीं किया गया है।
- ❖ तेलंगाना को आन्ध्रप्रदेश में शामिल मानकर सम्पर्क रहित बसावटों का आंकलन किया गया है।
- ❖ लद्दाख को भी जम्मू एवं कश्मीर राज्य में शामिल मानकर सम्पर्क रहित बसावटों का आंकलन किया गया है।
- ❖ बसावटों की कुल संख्या, सम्पर्क रहित बसावटों की कुल संख्या एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कवर की जाने वाली कुल बसावटों की संख्या का आधार वर्ष 2006-07 की वार्षिक रिपोर्ट (ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत-सरकार) को माना गया है क्योकि इसके पूर्व की कोई भी वार्षिक रिपोर्ट सुलभ संदर्भ हेतु विभाग की वेवसाइट पर उपलब्ध ही नहीं है।

प्रथम चरण में जनगणना 2001 को आधार मानकर 250 से 499, 500 से 999 तथा 1000+ जनसंख्या वाली संपर्क रहित बसावटों की राज्यवार संख्या को आधार मानकर पात्र बसावटों की संख्या का विश्लेषण किया गया है। द्वितीय चरण में जनगणना 2011 को आधार मानकर 250+ एवं 500+ जनसंख्या वाली सम्पर्क रहित पात्र बसावटों की राज्यवार संख्या को आधार मानकर बसावटों की संख्या का विश्लेषण किया गया है।

चूंकि दोनो जनगणनाओं के आधार पर निकाली गई सम्पर्क रहित ग्रामीण बसावटों की संख्याएं भी भिन्न-भिन्न है। अतः प्रस्तुत शोध में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर

Created by Universal Document Converter

निकाली गई सम्पर्क रहित पात्र ग्रामीण बसावटों की संख्याओं के आधार पर ही निष्कर्ष निकाले गये है।

द्वितीय एवं तृतीय चरणों में बारहमासी सड़कों से सम्पर्क रहित ग्रामीण बसावटों की गणना निम्न मापदण्डों के अनुसार की गई है-

- ❖ जनगणना 2011 को आधार मानकर बसावटों की गणना की गई है।
- ❖ योजना अंतर्गत 250+ एवं 500+ जनसंख्या वाली पात्र संपर्क रहित बसावटों की गणना की गई है।
- ❖ सम्पर्क रहित बसावटों की संख्या का आंकलन करते समय देश के सभी राज्यों को शामिल किया गया है।
- ❖ केन्द्र शासित संघों की संपर्क रहित बसावटों की गणना नहीं की गई है।
- ❖ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कवर की जाने वाली कुल बसावटों की संख्या का आधार वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्टो (ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार) को माना गया है।
- ❖ योजना के अंतर्गत कितनी बसावटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ा गया है यह विश्लेषण व शोध के निष्कर्ष हेतु द्वितीय व तृतीय चरणों की सम्पर्क रहित पात्र बसावटों को ही आधार माना गया है।

यह अध्ययन द्वितीयक समंकों पर आधारित है, जो भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं इस येाजना की नोडल एजेंसी, राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी की वेबसाईट पर प्रदर्शित लगभग 20 वर्षो की वार्षिक रिपोर्टों से संग्रहित किये गये है। प्रस्तुत अध्ययन में लगभग 24 वर्षो के समंकों का तुलनात्मक विश्लेषण राज्यवार एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के आधार पर किया गया है जिसमें औसत, प्रतिशत, अनुपात, रेखाचित्र व दण्ड चित्रों जैसी सांख्यिकीय एवं गणितीय विधियों का प्रयोग कर अपेक्षित परिणाम ज्ञात किये गये है।

अध्ययन के उद्देश्य :

प्रस्तुत शोधपत्र में यह अध्ययन किया गया है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के समावेशी विकास में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से देश के सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित संघों में कितनी पात्र बसावटों को ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों से जोड़ने का कार्य किया गया है। वस्तुतः यह अध्ययन निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किया गया हैः-

1. देश की ग्रामीण क्षेत्रों की कुल बसावटों की संख्या का पता लगाना।
2. देश की ग्रामीण क्षेत्रों की कुल बसावटों में से सम्पर्क रहित बसावटों की कुल संख्या का पता लगाना।
3. देश की कुल सम्पर्क रहित बसावटों की संख्या में से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से कवर की जाने वाली कुल पात्र बसावटों का पता लगाना।

Created by Universal Document Converter

(जनगणना 2001 एवं जनगणना 2011 के आधार पर)

4. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से कवर की जाने वाली कुल पात्र बसावटों में से स्वीकृत की गई कुल बसावटों की संख्या का पता लगाना।

5. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत की गई कुल बसावटों में से बारहमासी सड़क सम्पर्क से जोडी गई कुल बसावटों की संख्या का पता लगाना।

परिणाम एवं विवेचना :

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अनुसार बारहमासी सड़कों से सम्पर्क रहित ग्रामीण बसावटों की राज्यवार स्थिति का विवरण

Created by Universal Document Converter

स.क्र.	राज्य/ संघ का नाम	बसावटों की कुल संख्या (2006-07)	संपर्क रहित बसावटोंकी संख्या (2006-07)	पीएमजीएसवाई के अंतर्गत कवर की जाने वाली कुल बसावटें (2006-07) जनगणना 2001	पीएमजीएसवाई के अंतर्गत कवर की जाने वाली कुल बसावटें (2020-21) जनगणना 2011
1	आन्ध्रप्रदेश	67,401	2,679	980	1,636
2	अरुणाचल प्रदेश	3,880	2,654	415	642
3	असम	22,963	15,786	13,144	15,321
4	बिहार	42,286	24,321	17,920	34,586
5	छत्तीसगढ़	29,544	24,202	12,561	10,638
6	गोवा	369	55	55	15
7	गुजरात	35,282	8,127	4,253	3,387
8	हरियाणा	6,745	23	2	1
9	हिमाचल प्रदेश	16,997	11,340	3,494	3,554
10	जम्मू एवं कश्मीर	9,270	3,946	2,792	2,419
11	झारखण्ड	35,769	21,036	10,696	11,469
12	कर्नाटक	56,682	4,608	876	423
13	केरल	14,899	475	473	434
14	मध्यप्रदेश	55,719	34,771	18,492	19,448
15	महाराष्ट्र	56,663	6,892	1,751	1,950
16	मणिपुर	2,905	1,142	598	667
17	मेघालय	5,362	2,752	756	771
18	मिजोरम	790	392	285	256
19	नागालैण्ड	1,049	127	94	116
20	ओडिशा	49,018	28,299	14,393	16,488
21	पंजाब	13,579	920	536	535
22	राजस्थान	39,954	19,945	10,995	16,450
23	सिक्किम	901	410	318	359
24	तमिलनाडु	62,919	5,318	2,640	2,013
25	त्रिपुरा	8,132	3,803	2,091	2,071
26	उत्तरप्रदेश	1,41,534	61,554	24,284	14,804
27	उत्तराखण्ड	16,810	8,654	2,605	2,658
28	पश्चिम बंगाल	51,472	35,667	25,288	14,221
29	अंडमान व निकोबार	-	-	-	7
30	लद्दाख	-	-	-	78
31	तेलंगाना	-	-	-	767
	योग	**8,48,894**	**3,29,898**	**1,72,787**	**1,78,184**

स्रोत : वार्षिक रिपोर्ट - 2006-07 एवं 2021-22, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, पृष्ठ क्रमांक 189 एवं 347

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रारंभ होने के पूर्व देश में बसावटों की कुल संख्या 8,48,894 थी जिसमें से 3,29,898 बसावटों में सड़कें नही

Created by Universal Document Converter

थी । अर्थात् 39 प्रतिशत बसावटें ऐसी थी जिनमें बारहमासी सड़कों का सम्पर्क नहीं था । इन्हीं 3,29,898 सम्पर्क रहित बसावटों को बारहमासी सड़क सम्पर्क उपलब्ध कराने के लिये यह योजना प्रारंभ की गई ।

योजना की शर्तो के अनुसार जनगणना 2001 के आधार पर 250+ 500+ एवं 1000+ जनसंख्या वाली पात्र सम्पर्क रहित बसावटों को चिन्हित करके उन्हें बारहमासी सड़कों से जोड़ने की योजना के अंतर्गत 1,72,787 बसावटों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कवर किये जाने की योजना बनाई गई । अर्थात् सम्पर्क रहित कुल बसावटों 3,29,898 में से मात्र 1,72,787 बसावटों को ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कवर किये जाने की योजना बनाई गई। प्रतिशत के आधार पर यह 52.38 प्रतिशत के बराबर है ।

संक्षेप में देश की कुल बसावटों में से लगभग 39 प्रतिशत बसावटों में बारहमासी सड़क सम्पर्क सुविधा नहीं थी । इन 39 प्रतिशत बसावटों में से मात्र 52.38 प्रतिशत बसावटें ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कवर किये जाने के लिये यह योजना बनायी गई।

इस योजना का द्वितीय चरण जब प्रारम्भ हुआ तो जनगणना व पात्र जनसंख्या के आधार में परिवर्तन हो जाने की स्थिति में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कवर की जाने वाली बसावटों की संख्या में भी परिवर्तन होना स्वाभाविक था । प्रथम चरण में जहां 1,72,787 बसावटों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कवर किया जाना था वही परिवर्तन होकर कवर की जाने वाली बसावटों की संख्या 1,78,184 हो गई । अर्थात् सम्पर्क रहित कुल बसावटों की संख्या 3,29,898 में से द्वितीय व तृतीय चरण हेतु पात्र बसावटों की संख्या 1,78,184 हो गई । प्रतिशत के आधार पर यह 54 प्रतिशत के बराबर है ।

विभिन्न राज्यों में सम्पर्क रहित बसावटों की संख्या के मान से सर्वाधिक सम्पर्क रहित बसावटों वाले प्रमुख 10 राज्यों का क्रम इस प्रकार है :

01	उत्तरप्रदेश	61,554
02	पश्चिम बंगाल	35,667
03.	मध्यप्रदेश	34,771
04	ओडिशा	28,299

सम्पर्क रहित कुल बसावटों 3,29,898 की संख्या के अनुपात में इन 10 राज्यों में सम्पर्क रहित बसावटों की संख्या 2,76,921 है । अर्थात् 84 प्रतिशत

Created by Universal Document Converter

05.	बिहार	24,321
06.	छत्तीसगढ़	24,202
07	झारखण्ड	21,036
08	राजस्थान	19,945
09	असम	15,786
10	हिमाचाल प्रदेश	11,340
	योग :	**2,76,921**

सम्पर्क रहित बसावटें तो इन 10 राज्यों में ही है । शेष 16 प्रतिशत सम्पर्क रहित बसावटें बाकि बचे हुये 18 राज्यों में है ।

जनगणना 2001 के आधार पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कवर की जाने वाली कुल बसावटों की संख्या के मान से सर्वाधिक कवर किये जाने वाली बसावटों वाले प्रमुख 10 राज्यों का क्रम इस प्रकार है-

1	पश्चिम बंगाल	25,288
2	उत्तर प्रदेश	24,284
3	मध्यप्रदेश	18,492
4	बिहार	17,920
5	ओडिशा	14,393
6	असम	13,144
7	छत्तीसगढ़	12,561
8	राजस्थान	10,995
9	झारखण्ड	10,696
10	गुजरात	4,253
	योग :	**1,52,026**

वर्ष 2006-07 की वार्षिक रिपोर्ट एवं जनगणना 2011 के आधार पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कवर की जाने वाली कुल बसावटों 1,72,787 की संख्या के अनुपात में इन 10 राज्यों में कवर की जाने वाली कुल बसावटों की संख्या 1,52,026 है । अर्थात् 88 प्रतिशत बसावटें तो इन 10 राज्यों से ही कवर की जाना है । शेष 12 प्रतिशत बसावटें ही अन्य 18 राज्यों से कवर की जानी है ।

इसी प्रकार जनगणना 2011 के आधार पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कवर की जाने वाली कुल बसावटों की संख्या के मान से सर्वाधिक कवर किये जाने वाली बसावटों वाले प्रमुख 10 राज्यों का क्रम इस प्रकार है-

1	बिहार	34,586
2	मध्यप्रदेश	19,448
3	ओडिशा	16,488
4	राजस्थान	16,450
5	असम	15,321

वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्टो एवं जनगणना 2011 के आधार पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कवर की जाने वाली कुल बसावटों 1,78,184 की संख्या के अनुपात में इन 10 राज्यों में कवर की

Created by Universal Document Converter

6	उत्तर प्रदेश	14,804
7	पश्चिम बंगाल	14,221
8	झारखण्ड	11,469
9	छत्तीसगढ़	10,638
10	हिमाचल प्रदेश	3,554
	योग :	**1,56,979**

जाने वाली कुल बसावटों की संख्या 1,56,979 है । अर्थात् 88 प्रतिशत बसावटें तो इन 10 राज्यों से ही कवर की जाना है । शेष 12 प्रतिशत बसावटें ही अन्य 21 राज्यों से कवर की जानी है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीनों चरणों में ग्रामीण सड़कों से जोड़ी गई बसावटों का विश्लेषण : -

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में शामिल किये जाने के लिए जनगणना 2011 के अनुसार निर्धारित 250+ और 500+ व्यक्तियों की आबादी वाली पात्र बस्तियों / बसावटों की संख्या के अनुपात में पीएमजीएसवाई के तहत स्वीकृत बस्तियां तथा सड़क सम्पर्क से जोड़ी गई बस्तियों / बसावटों का विश्लेषण शोधार्थी द्वारा तालिका क्र. 7.2 में किया गया है । योजना के प्रारम्भ होने से लेकर तृतीय चरण के अन्त तक (31-12-2024) की सभी बसावटों / बस्तियों की स्थिति का राज्यवार विवरण इस तालिका में किया गया है।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इस योजना के अन्तर्गत कुल पात्र, सड़क संपर्क विहीन बस्तियों / बसावटों की संख्या जनगणना 2011 के आधार पर (आबादी 250+ और 500+ व्यक्तियों की) 1,78,184, निर्धारित की गई थी । इन पात्र बसावटों में से 16,086 बस्तियों को राज्यों ने अपने स्वयं के संसाधनों से सड़क संपर्क सुविधा उपलब्ध कराई गई है और 4,952 बसावटों / बस्तियों को या तो छोड़ दिया है या व्यवहार्य के अनुकूल नहीं होने से अर्थात भौगोलिक / प्राकृतिक स्थिति के कारण सड़क संपर्क सुविधा किसी भी प्रकार से उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है उन्हें योजना में शामिल नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीनों चरणों में सड़क सम्पर्क सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पात्र शेष 1,57,146 (1,78,184-16,086-4,952) बसावटों में से 156,696 बस्तियों को योजनान्तर्गत सड़क सम्पर्क सुविधा उपलब्ध करा दी गई है शेष बची हुई 450 (157146-156696) बस्तियों को 31 दिसम्बर, 2024 की स्थिति के अनुसार बारहमासी सड़क संपर्क उपलब्ध करवाया जाना शेष है।

दिनांक 31 दिसम्बर, 2024 तक जिन बस्तियों /बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराया गया है उनका राज्यवार विवरण इस प्रकार है:-

Created by Universal Document Converter

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)

तालिका क्र. 7.3

तीनों चरणों में ग्रामीण सड़कों से जोड़ने हेतु पात्र /स्वीकृत/जोड़ी गई बसावटों का राज्यवार विवरण (31 दिसम्बर, 2024 के अनुसार)

Created by Universal Document Converter

स. क्र.	राज्य का नाम	कुल पात्र बस्तियों की संख्या	PMGSY के तहत स्वीकृत बस्तियों की संख्या	PMGSY के माध्यम से सड़क सम्पर्क से जोड़ी गई बस्तियों की संख्या	प्रतिशत जोड़ी गई बस्तियों की संख्या का स्वीकृत संख्या से	क्रम
1	अंडमान और निकोबार	07	07	07	100.00	29
2	आन्ध्रप्रदेश	1,636	1,234	1,224	99.19	17
3	अरुणाचल प्रदेश	642	641	611	95.32	19
4	असम	15,321	13,721	13,717	99.97	05
5	बिहार	34,586	29,969	29,858	99.63	01
6	छत्तीसगढ़	10,638	9,736	9,594	98.54	08
7	गोवा	15	0	01	-	30
8	गुजरात	3,387	3,048	3,048	100.00	10
9	हरियाणा	01	01	01	100.00	30
10	हिमाचल प्रदेश	3,554	2,563	2,542	99.18	11
11	जम्मू और कश्मीर	2,420	2,140	2,131	99.58	12
12	झारखंड	11,469	9,537	9,537	100.00	09
13	कर्नाटक	423	296	296	100.00	25
14	केरल	434	404	402	99.5	22
15	मध्यप्रदेश	19,447	17,529	17,527	99.99	02
16	महाराष्ट्र	1,950	1,347	1,342	99.63	16

Created by Universal Document Converter

17	मणिपुर	667	652	622	95.4	18
18	मेघालय	770	602	580	96.35	21
19	मिजोरम	256	232	231	99.57	26
20	नागालैंड	116	109	107	98.17	27
21	ओड़िशा	16,488	15,313	15,307	99.96	04
22	पंजाब	535	389	389	100.00	23
23	राजस्थान	16,451	15,976	15,976	100.00	03
24	सिक्किम	359	350	350	100.00	24
25	तमिलनाडु	2,013	1,985	1,985	100.00	13
26	त्रिपुरा	2,071	2,005	1,979	98.7	14
27	उत्तर प्रदेश	14,804	11,749	11,748	99.99	07
28	उत्तराखंड	2,658	1,864	1,847	99.09	15
29	पश्चिमबंगाल	14,221	13,087	13,078	99.93	06
30	तेलंगाना	767	595	595	100.00	20
31	लद्दाख	78	65	64	98.46	28
	योग	**1,78,184**	**1,57,146**	**1,56,696**	**99.71**	**-**

स्रोत: - वार्षिक रिपोर्ट - 2024-25, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, पृष्ठ क्रमांक 394

Created by Universal Document Converter

Created by Universal Document Converter

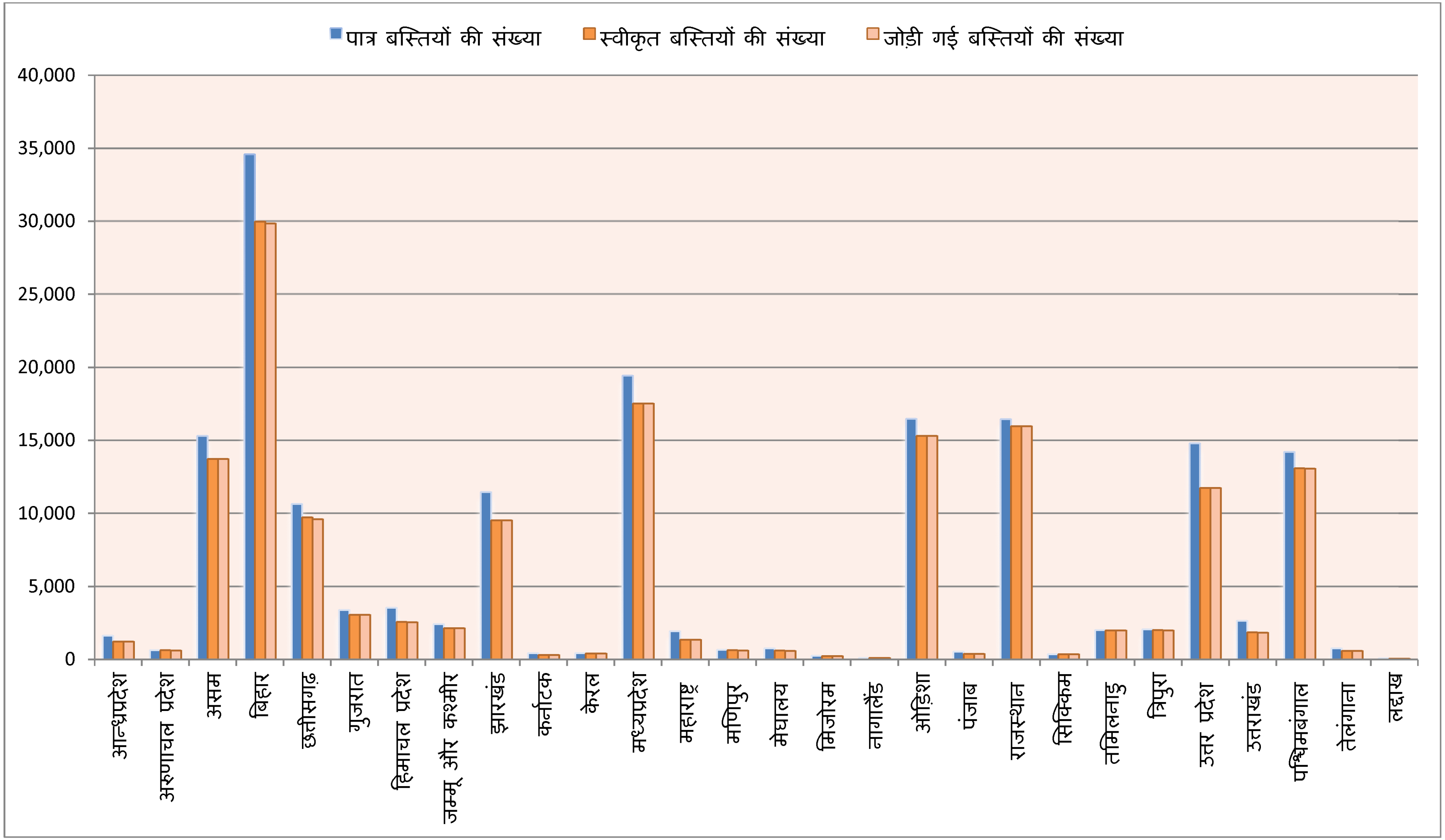

Created by Universal Document Converter

उपर्युक्त तालिका एवं चित्र से स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पात्र एवं स्वीकृत बसावटों की संख्या के अनुपात में बारहमासी सड़क सम्पर्क से जोड़ी गई बसावटों का प्रतिशत शत-प्रतिशत रहा है । यह इस योजना की आवश्कता, उपलब्धि, स्वीकार्यता को परिभाषित करता है । कुल 1,57,146 चिन्हित बसावटों में से योजना के तीनों चरणों में अर्थात् वर्ष 2000 से 2024 तक लगभग 99.71% बसावटों अर्थात् 1,56,696 बस्तियों को बारहमासी सड़क सम्पर्क से जोड़ा जा चुका है । मात्र 450 बसावटें ही बारहमासी सड़क सम्पर्क सें वंचित रह गई है ।

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा देश के 31 राज्यों में इस योजना के अंतर्गत कुल 1,78,184 बसावटों को सड़क संपर्क उपलब्ध कराने हेतु पात्र माना गया था जिनमें निवास करने वाली आबादी 250+ एवं 500+ व्यक्तियों की थी। इन्ही बसावटों को बारहमासी सड़क सम्पर्क से जोड़कर योजनान्तर्गत कार्य किया जाना था। इन 31 राज्यों में से पात्र बसावटों का लगभग 86% भाग बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, असम, पश्चिम बंगाल, उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि इन 09 राज्यों में ही क्रमानुसार रहा है ।

इसे इस प्रकार भी विश्लेषित किया जा सकता है कि ये 09 राज्य पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आते है जहाँ विकास की संभावनाए सबसे अधिक है । सड़कें व आवागमन के साधन जिन राज्यों में कम होंगे वहाँ विकास की धारा भी कम गति से ही बहेगी । जिन राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में बारहमासी सड़क सम्पर्क की सुविधा उपलब्ध है वे राज्य विकसित श्रेणी में आते हैं। अतः इस योजना के माध्यम से जब पात्र सड़क संपर्क विहीन बस्तियों की संख्या की गणना की गई तो जिन राज्यों में यह संख्या अधिक पाई गई वे राज्य पिछडे राज्यों के रूप में चिंहित हुए है तथा जिन राज्यों में यह संख्या कम पाई गई है वे राज्य विकसित एवं समृद्ध राज्य के रूप में पहचाने जा सकते है । इस आधार पर भारत के विकसित एवं अविकसित राज्यों को श्रेणीबद्ध किया जा सकता है ।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जिन 09 राज्यों में सबसे अधिक पात्र बसावटे/बस्तियाँ पाई गई थी उन्हीं 09 राज्यों में ही सबसे अधिक बारहमासी सड़क सम्पर्क की सुविधा हेतु बस्तियों को स्वीकृत किया जाकर सड़कें बनाने का कार्य भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीनों चरणों में किया गया है । देश के लगभग सभी राज्यों में इस योजनान्तर्गत शत-प्रतिशत बस्तियों को बारहमासी सड़क सम्पर्क सुविधा उपलब्ध करायी गयी है । इस आधार पर निष्कर्ष के रूप में यह कहां जा सकता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जिन उद्देश्यों को लेकर प्रारम्भ की गई थी उसमें 24 वर्षों के बाद सफलता प्राप्त होते हुए दिखाई दे रही है । 31 दिसम्बर 2024 तक कुल पात्र बसावटों व स्वीकृत बस्तियों की संख्या मे से मात्र 450 बसावटे ही बारहमासी सड़क सम्पर्क की सुविधा से वंचित रही है, शेष सभी बसावटें योजनान्तर्गत बारहमासी सड़क सम्पर्क सुविधा से जोड़ी जा चुकी है ।

Created by Universal Document Converter

निष्कर्ष :

अध्ययन के अंत में निष्कर्ष के रूप में यह कहां जा सकता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत तीनों चरणों में सड़क सम्पर्क हेतु स्वीकृत 100 बसावटों की संख्या के अनुपात में लगभग शत-प्रतिशत अर्थात् 100 बसावटों को ही बारहमासी सड़क सम्पर्क सुविधा उपलब्ध कराई गयी है । यह इस योजना की सफलता को चरितार्थ करता है । योजनान्तर्गत सबसे अधिक सम्पर्क रहित ग्रामीण बसावटों को बारहमासी सड़क सम्पर्क सुविधा से जोड़ने वाले राज्यों में अग्रणी 05 राज्यों के क्रम मे बिहार प्रथम स्थान पर, मध्यप्रदेश द्वितीय स्थान पर, राजस्थान तृतीय स्थान पर, ओड़िशा चतुर्थ स्थान पर तथा असम पाचवें स्थान पर रहे है । इसी प्रकार संख्या के आधार पर सबसे कम सम्पर्क रहित ग्रामीण बसावटों को जोड़ने वाले राज्यों में सबसे निचले क्रम में रहने वाले पांच राज्यों /संघों में गोवा, हरियाणा, अंडमान व निकोबार, लद्दाख व नागालैंड रहे है ।

संदर्भ सूची :

1. वार्षिक रिपोर्ट - 2006-07, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
2. वार्षिक रिपोर्ट - 2021-22, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
3. वार्षिक रिपोर्ट - 2024-25, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
4. वार्षिक रिपोर्ट - 2006-07, राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
5. वार्षिक रिपोर्ट - 2021-22, राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
6. वार्षिक रिपोर्ट - 2024-25, राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
7. आर्थिक विकास और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, डॉ. विजय कुमार दीक्षित, राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली
8. ग्रामीण विकास एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, डॉ. प्रीति जैन, सत्यम पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्युटर्स, जयपुर
9. www.pmgsy.online.nic.in
10. www.omms.nic.in

-------------------00------------------

Created by Universal Document Converter